

[2018] 1 एस. सी. आर. 1007

मैसर्स आर. डी. बी. टेक्सटाइल्स लिमिटेड

बनाम

केंद्रीय उत्पाद और सेवा कर आयुक्त, कोलकाता-IV आयोग

(2015 की सिविल अपील संख्या 8534)

13 फरवरी, 2018

■आर. एफ. नरीमन और नवीन सिन्हा, जे. जे.■

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944-छूट अधिसूचना संख्या 12 / 2011 - सी. ई. दिनांक 1.3.2011 और अधिसूचना सं. 30 / 2004 दिनांकित 9.7.2004 – एक अन्य इकाई का ब्रांड नाम-अपीलकर्ताओं द्वारा निर्मित और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेचे जाने वाले खाद्यान्नों की पैकिंग में उपयोग के लिए सार्वजनिक उपक्रमों, विभिन्न राज्य सरकारों और सरकारी एजेंसियों को आपूर्ति किए जाने वाले पटसन के थैले-अधिसूचना संख्या 30 / 2004 दिनांक 9.7.2004 के तहत छूट को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि जूट के थैलों पर एफ. सी. आई. और राज्य सरकारों जैसे खरीदारों का नाम, लोगो और विवरण चिपकाना एक "ब्रांड नाम" चिपकाने जैसा माना गया। -अभिनिर्धारित किया गया- तत्काल मामले में, वास्तव में जूट के थैलों पर जो चिपकाया गया था, वह एफ. सी. आई., पंजाब राज्य सरकार और इसी तरह जैसी खरीददार एजेंसी का नाम था, फसल वर्ष, संबंधित जूट मिल का नाम, इसकी बी. आई.

एस. प्रमाणन संख्या और यह कथन कि खाद्यान्न भारत में निर्मित होते हैं-ऐसे चिह्न कानून की मजबूरी में बनाए गए थे, जो पी. डी. एस. में शामिल सरकारी एजेंसियों द्वारा पहचान, निगरानी और नियंत्रण के लिए हैं-इस तरह के चिह्न किसी भी तरह से जूट के थैलों के मूल्य को नहीं बढ़ाते हैं और न ही अपीलकर्ताओं का जूट के थैलों के मूल्य को बढ़ाने का इरादा है, जो कि उत्पाद शुल्क लगाने के लिए आवश्यक है-जूट के थैलों पर निशान जूट के थैले और ऐसे नाम या चिह्न का उपयोग करने वाले किसी व्यक्ति के बीच व्यापार के दौरान संबंध का संकेत देने के उद्देश्य से नहीं हैं-इस मामले में, यह स्पष्ट है कि तात्कालिक मामलों के तथ्यों में कोई "ब्रांड नाम" सम्मिलित नहीं है- जूट पैकिंग सामग्री(पैकिंग वस्तुओं में प्रयोग आवश्यक) अधिनियम, 1987-आवश्यक जिंस अधिनियम, 1955-जूट और जूट वस्त्र नियंत्रण आदेश, 2000- अधिसूचना सं 12 / 2011 सीई दिनांक 1.3.2011-अधिसूचना सं 30 / 2004 दिनांकित 9.7.2004 परिपत्र/सरकारी आदेश/अधिसूचना: परिपत्र का बाध्यकारी प्रभाव-अभिनिर्धारित किया गया- वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए परिपत्र केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के लिए बाध्यकारी हैं।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया-

1. जूट आयुक्त द्वारा आयुक्त (केंद्रीय उत्पाद) को लिखे गये पत्र दिनांक **18.3.2011** और वित्त मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र दिनांक **21.6.2011** के अध्ययन से यह विदित होता है कि सामान पर किसी सामान पर किसी संस्था का केवल नाम प्रिंट होना या कढ़ा हुआ होना यह नहीं दर्शाता है कि ये ब्रांडेड उत्पाद बन जाएंगे। उत्पाद शुल्क आकर्षित करने के लिए, नाम या लोगो के अलावा एक ब्रांड नाम देना होगा। इसके

अलावा, केवल एक निर्माता का नाम चिपकाना एक ब्रांड नाम नहीं होगा। [पैरा 12]

[1016-डी-ई]

2.1 आपूर्ति और निपटान निदेशालय द्वारा जारी एक विशिष्ट मांग आदेश के लिए खरीदार के प्रतीक की आवश्यकता होती है और खरीदार द्वारा देय उत्पाद शुल्क अपीलार्थियों द्वारा निर्मित जूट की थैलियों पर मुद्रित किया जाना आवश्यक होता है। [पैरा 13] [1016-एफ]

2.2 जूट आयुक्त द्वारा दिया गया एक विशिष्ट आपूर्ति आदेश कानून के रूप में, यह भी आवश्यक है कि पीडीएस में उपयोग किए जाने वाले जूट के थैलों की पहचान के उद्देश्यों के लिए खरीदार का नाम निर्माता की मिल के नाम के साथ-साथ बीआईएस प्रमाणन के साथ जोड़ा जाए। [पैरा 13] [1017-ए]

3. तत्काल मामले में, वास्तव में जूट के थैलों पर जो चिपकाया गया था, वह खरीद एजेंसी का नाम था जैसे कि एफ. सी. आई., पंजाब राज्य सरकार आदि, फसल वर्ष, संबंधित जूट मिल का नाम, इसका बी. आई. एस. प्रमाणन संख्या और यह कथन कि खाद्यान्न भारत में निर्मित होते हैं। यह स्पष्ट है कि जूट नियंत्रण आदेश और उसके अंतर्गत किए गए मांग आदेशों को देखते हुए, दंड की पीड़ा पर, इन सभी निशानों को जूट के थैलों के निर्माताओं द्वारा किया जाना है। जाहिर है, इस तरह के चिह्न कानून की मजबूरी से बनाए जाते हैं, जो पीडीएस में शामिल सरकारी एजेंसियों द्वारा पहचान, निगरानी और नियंत्रण के लिए होते हैं। न तो इस □□□ □□ □□□□□ □□□□ □□ □□□ से पटसन के थैलों के मूल्य में वृद्धि नहीं करते हैं और न ही अपीलकर्ताओं का इरादा पटसन के थैलों के मूल्य में वृद्धि करना है, जो कि उत्पाद शुल्क लगाने के लिए आवश्यक है। यह इस अभिव्यक्ति के साथ प्रवाहित होता है- “...उत्पाद और ऐसे नाम या चिह्न का उपयोग करने वाले किसी व्यक्ति के बीच व्यापार के दौरान संबंध को इंगित करने के उद्देश्य के लिए अथवा इंगित करने के लिए...।” वर्तमान मामले में, थैलियों पर निशान व्यापार के

दौरान पटसन की थैली और इस तरह के नाम या निशान का उपयोग करने वाले किसी व्यक्ति के मध्य संबंध का संकेत देनेके उद्देश्य □□□ □□□□ □□□□ □□□□□ केवल इस क्रम में कानून की मजबूरी से हैं कि पीडीएस में शामिल सरकारी अधिकारी उपरोक्त जूट के थैलों की पहचान कर सकते हैं और उन्हें अलग कर सकते हैं। यह मामला होने के कारण, यह स्पष्ट है कि वर्तमान मामलों के तथ्यों में कोई "ब्रांड नाम" शामिल नहीं है। [पैरा 18] [1020-एफ-एच; 1021-ए-बी]

कोहिनूर इलास्टिक्स (पी) लिमिटेड बनाम सीसीई (2005) 7 एससीसी 528 – प्रतिष्ठित किया गया।

सी. सी. ई बनाम स्टैंजेन इम्यूनो डायग्नोस्टिक्स [2015] 4 एस सी आर 528 : (2015) 11 एस. सी. सी. 761; सी. सी. ई. बनाम संघी श्रेड्स (2015) 14 एस. सी. सी. 701- पर भरोसा किया गया।

4. वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए परिपत्र केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के लिए बाध्यकारी हैं। [पैरा 19] [1021 बी]

सी. आई. टी बनाम ट्रांस एशियन शिपिंग सर्विसेज (पी) लिमिटेड [2016] 3 एस सी आर 337: (2016) 8 एस. सी. सी. 604 - पर भरोसा किया।

मामला कानून संदर्भ

| | | |
|---------------------------|---------------------|---------|
| (2005) 7 एस. सी. सी. 528 | प्रतिष्ठित किया गया | पैरा 4 |
| [2015] 4 एससीआर 528 | पर भरोसा किया गया | पैरा 17 |
| (2015) 14 एस. सी. सी. 701 | पर भरोसा किया गया | पैरा 17 |
| [2016] 3 एससीआर 337 | पर भरोसा किया गया | पैरा 19 |

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2015 की सिविल अपील सं. 8534

सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, पूर्वी क्षेत्रीय शाखा, कोलकाता में उत्पाद शुल्क अपील संख्या 2014 की 75676 के दिनांकित 30.06.2015 आदेश से।

के साथ

2015 की सी. ए. सं. 8703, 8725-8726, 8769, 8565, 9153, 8894-8895, 8896 8897, 13331, 9242-9243, 9087, 9249, 9144, 8885-8886, 8890 8891, 13330, 8706, 8743, 9146-9147, 8759-8760

एस. के. बगडिया, नीरज किशन कौल, वरिष्ठ अधिवक्ता, अमित अग्रवाला, सौरव अग्रवाल, सौरभ बगडिया, कपिल रुस्तगी, अजीत सिन्ह, सन्यत लोढा, विवेक बी., सुश्री आकृति दावार, सशि तिवारी, टी.आर.बी. शिवकुमार, अधिवक्ता, अपीलार्थी के लिये।

राधाकृष्णन, वरिष्ठ अधिवक्ता, रुपेश कुमार, सुश्री निशा बागची, सुश्री सुनीता रानी सिंह, सुश्री पूजा शर्मा और बी. कृष्ण प्रसाद, अधिवक्ता उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था

आर. एफ. नरीमन, जे.

1. वर्तमान अपीलें सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सी. ई. एस. टी. ए. टी.) द्वारा पारित एक निर्णय से उत्पन्न होती हैं, जिसमें सी. ई. एस. टी. ए. टी. ने अपीलार्थियों द्वारा निर्मित और भारतीय खाद्य निगम

(एफ. सी. आई.), विभिन्न राज्य सरकारों और सरकारी एजेंसियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से बेचे जाने वाले खाद्यान्न की पैकिंग में उपयोग के लिए आपूर्ति किए जाने वाले जूट के थैलों के संबंध में उत्पाद शुल्क अधिसूचनाओं के तहत छूट, देने से इनकार कर दिया है, जिसे इसके बाद संदर्भित किया गया है। उक्त छूट को दो साल की अवधि के लिए यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया गया है कि एफ. सी. आई. और राज्य सरकारों जैसे खरीदारों का नाम, लोगो और विवरण चिपकाना जूट के थैलों पर एक "ब्रांड नाम" चिपकाने के बराबर है।

2. जूट पैकेजिंग सामग्री (पैकिंग वस्तुओं में अनिवार्य उपयोग) अधिनियम 1987 (इसके बाद "जूट अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 3 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने समय-समय पटसन उद्योग की रक्षा के लिए भारत में उत्पादित कच्चे पटसन से भारत में निर्मित पटसन के थैलों में पैक किए जाने के लिए आवश्यक खाद्यान्नों की संख्या पर न्यूनतम प्रतिशत का निर्देश देते हुए आदेश जारी किए हैं।

3. साथ ही, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने जूट और जूट वस्त्र नियंत्रण आदेश, 2000 बनाया। जूट और जूट वस्त्र नियंत्रण आदेश द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जूट आयुक्त समय-समय पर जूट मिलों को विशिष्ट आदेश जारी करते हैं, जिसमें उन्हें निर्दिष्ट श्रेणियों और निर्दिष्ट मात्रा में जूट के थैलों का उत्पादन करने की आवश्यकता होती है, ताकि वे निदेशक (आपूर्ति और निपटान) द्वारा निर्दिष्ट किए गए व्यक्तियों को बेच सकें,

वह मांग आदेश जारी करते हैं, जिसमें उन व्यक्तियों के नाम, जिन्हें आपूर्ति की जानी है, जूट थैले की कीमतें और अन्य विवरण दिए गए हैं। इस तरह की कीमतें उत्पाद शुल्क से अलग हैं। उपरोक्त मांग आदेशों के बाद आपूर्ति आदेश जारी किए जाते हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, कीमतों, वितरण अवधि, वितरण की शर्तों और चिह्नों का विवरण दिया जाता है।

4. अपीलार्थियों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री एस. के. बागरिया और श्री नीरज कौल ने हमें उन मांगों के बारे में बताया, जो संशोधित अधिसूचनाओं पर आधारित हैं, और हमें आयुक्त के विवादित दिनांकित 7.3.2014 आदेश और सी ई एस टी ए टी के विवादित निर्णय से अवगत कराया है। विद्वान वकील के अनुसार, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के तहत पटसन के थैलों को दी गई छूट को 1.3.2011 से 1.3.2013 तक दो साल की अवधि के लिए हटा दिया गया था, केवल तभी जब निर्मित वस्तुओं पर एक ब्रांड नाम था या एक ब्रांड नाम के तहत बेचा गया था। यदि "ब्रांड नाम" की परिभाषा को देखना है, तो विद्वान वकील के अनुसार, यह स्पष्ट हो जाएगा कि "ब्रांड नाम" एक नाम या एक निशान है जिसका उपयोग व्यापार के क्रम में किसी उत्पाद के संबंध में किसी उत्पाद और ऐसे नाम या चिह्न का उपयोग करने वाले किसी व्यक्ति के बीच संबंध को इंगित करने के उद्देश्य से किया जाता है। विद्वान वकील के अनुसार, खाद्यान्न के खरीदार/खरीददार के नाम का उपयोग करना स्पष्ट रूप से एक ब्रांड नाम नहीं है जिसके परिणामस्वरूप जूट बैग और उक्त खरीदार के बीच व्यापार के दौरान एक संबंध का संकेत देता है। उन्होंने तर्क दिया कि कारण दर्शाओ नोटिस इस

आधार पर आगे बढ़े कि निर्माता के नाम और निर्माता के प्रतीक का उपयोग करने के परिणामस्वरूप एक ब्रांड नाम का उपयोग किया गया, लेकिन सी. ई. एस. टी. ए. टी. ने यह महसूस करते हुए कि ऐसा नहीं हो सकता है, खाद्यान्न के खरीदार/खरीददार के नाम का उपयोग करने के आधार पर अपना निर्णय स्थापित किया और यह कि यह कारण दिखाओ नोटिस से परे होगा और इसलिए, सी. ई. एस. टी. ए. टी. के निर्णय को भी अलग कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कई निर्णय पर भरोसा करते हुए यह भी तर्क दिया, कि, वर्तमान मामले में, कोई "ब्रांड नाम" नहीं है, जैसा कि परिभाषित किया गया है, और इसलिए, कारण दिखाएँ नोटिस, आयुक्त के आदेश के साथ-साथ सी. ई. एस. टी. ए. टी. का आदेश सभी गलत हैं। उन्होंने आगे अपनी प्रस्तुतियों को पुष्ट करने के लिए 18.3.2011 दिनांकित एक पत्र और 21.6.2011 दिनांकित वित्त मंत्रालय के एक परिपत्र पर भरोसा किया। उनके अनुसार, आयुक्त ने इन दस्तावेजों का उल्लेख बिल्कुल नहीं किया है और सी. ई. एस. टी. ए. टी. केवल उपरोक्त दस्तावेजों को हटा देता है, जो इन मामलों की जड़ तक जाते हैं। उन्होंने इस बारे में निर्णयों का भी हवाला दिया कि इस तरह के परिपत्र विभाग के लिए कैसे बाध्यकारी हैं। उनके अनुसार, सी. ई. एस. टी. ए. टी. ने कोहिनूर इलास्टिक्स (पी) लिमिटेड बनाम सी. सी. ई., (2005) 7 एस. सी. सी. 528 में निर्णय पर बहुत अधिक भरोसा करने में घोर गलती की, जैसा कि वह निर्णय एक विशिष्ट छूट अधिसूचना से संबंधित था और यह माना गया कि एक ब्रांड नाम का उपयोग किया गया था, उस मामले के तथ्यों पर, इस बात का कोई तर्क नहीं दिया गया था कि क्या उपयोग किया गया विशेष चिह्न एक ब्रांड नाम था जैसा कि

परिभाषित किया गया था। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि निर्णय स्पष्ट रूप से अलग था, उस मामले में छूट अधिसूचना में, ब्रांड नाम का उपयोग छोटे पैमाने की इकाइयों द्वारा किया जाना था और किसी तीसरे पक्ष द्वारा इसका उपयोग नहीं किया जा सकता था, जो उस मामले के तथ्यों पर मामला पाया गया था। उनके अनुसार, इसलिए, सी. ई. एस. टी. ए. टी. अपने निष्कर्ष में पूरी तरह से गलत था कि इन मामलों में तथ्यों पर एक "ब्रांड नाम" का उपयोग किया गया था।

5. राजस्व की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री राधाकृष्णन ने पटसन अधिनियम की विभिन्न धाराओं और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 5अ को हमारे सामने रखा है। उनका यह अभिमत है कि पटसन अधिनियम केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 5अ उसके अंतर्गत जारी छूट अधिसूचनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता है। वह ब्रांड नाम की परिभाषा को पढ़ते चले गये और यह कथन किया कि ब्रांड नाम पूंजीगत लाभ के लिये प्रयोग लिया रहा था यह दर्शाने की आवश्यकता नहीं थी, जहाँ तक ऐसा था, प्रयोग किया जा रहा था जैसा कि इन मामलों के तथ्यों से स्पष्ट है। उन्होंने बाद में यह बहस में कहा कि पटसन की थैलियों पर जो प्रिंट था वह खरीददार के विशेष विवरण के अनुसार, अन्य बातों के साथ निर्माता का नाम और विभिन्न रंगों की पट्टियां थी, जिससे यह संकेत मिलता है कि न केवल निर्माता के नाम का खुलासा किया गया था, बल्कि यह कि रंगीन पट्टी एक "निशान" होगी, इस तथ्य की ओर ले जाती है कि इन मामलों में एक "ब्रांड नाम" है। उनके अनुसार, ब्रांड नाम की परिभाषा की एक शाब्दिक व्याख्या यह दिखाएगा कि सी. ई. एस. टी. ए. टी. सही है। इसके

अलावा, विद्वान वकील के अनुसार, सी. ई. एस. टी. ए. टी. ने ब्रांड नाम की उसी परिभाषा के आधार पर एक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कोहिनूर इलास्टिक्स (उपरोक्त) के फैसले पर सही ढंग से भरोसा किया, कि इन मामलों के तथ्यों में एक नाम या चिह्न का उपयोग किया गया है, और जो न केवल निर्माता का नाम, बल्कि खरीदार का नाम या उपार्जक का नाम भी दर्शाता है।

6. इन मामलों के तथ्यों पर कुछ विस्तार से विचार करने से पहले, अधिसूचना 30/2004 दिनांकित 9.7.2004 के तहत दी गई छूट को निर्धारित करना महत्वपूर्ण है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 5 ए के तहत जारी यह अधिसूचना जनहित में इसके तहत उल्लिखित उत्पाद शुल्क से छूट देती है। उपरोक्त अधिसूचना की मद 16 में केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्रविष्टि 63 के अंतर्गत 6307.10 के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं को छोड़कर आने वाली सभी वस्तुओं को छूट दी गई है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क , जिसके बारे में हम चिंतित हैं, 6305 , और विशेष रूप से, 63051030 और 63051040 है, जहां शुल्क की दर 10 प्रतिशत है। इस प्रकार, 1.3.2011 तक, यह स्पष्ट है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्रविष्टि 63 में उल्लिखित सभी वस्तुओं को उत्पाद शुल्क के भुगतान से छूट दी गई थी। हालाँकि, अधिसूचना 12/2011 दिनांक 1.3.2011 द्वारा, आइटम 16 को प्रतिस्थापित किया गया था, जिसमें "ब्रांड नाम वाले या ब्रांड नाम के तहत बेचे जाने वाले सामानों को छोड़कर सभी सामानों को छूट दी गई थी।"

7. अध्याय 63 के उद्देश्य के लिए ब्रांड नाम को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

"(iv) इस अध्याय के उत्पादों के संबंध में, "ब्रांड नाम" का अर्थ है एक ब्रांड नाम, चाहे वह पंजीकृत हो या न हो, अर्थात्, एक नाम या एक चिह्न, जैसे कि एक प्रतीक, मोनोग्राम, लेबल, हस्ताक्षर या आविष्कार किए गए शब्द या कोई लेखन जिसका उपयोग किसी उत्पाद के संबंध में उत्पाद में किसी संबंध को इंगित करने या इंगित करने के उद्देश्य से व्यापार के क्रम में उत्पाद और ऐसे नाम या चिह्न का उपयोग करने वाले किसी व्यक्ति के बीच, उसकी पहचान के किसी संकेत के साथ या उसके बिना, किया जाता है।"

8. उपरोक्त स्थिति दो साल तक 1.3.2013 तक जारी रही, जब अधिसूचना No.11/2013 ने एक ब्रांड नाम के तहत पहचाने जाने वाले या बेचे जाने वाले सामान को छोड़कर पिछली प्रविष्टि को बहाल कर दिया, और इस प्रकार, 2004 और 2011 के बीच मौजूद स्थिति में वापस आ गयी, जो यह है कि ब्रांड नाम के साथ या उसके बिना जूट के थैलों को उत्पाद शुल्क से पूरी तरह से छूट दी गई थी।

9. 2015 की सिविल अपील संख्या 8534 के तथ्यों को अब संदर्भित किया जाएगा। 7.3.2011 कोको, 1.3.2011 की संशोधित अधिसूचना के अनुसार, अधीक्षक (केंद्रीय उत्पाद शुल्क) ने अपीलार्थी को एक नोटिस भेजा कि चूंकि वे एक ब्रांड नाम वाली वस्तु बेच रहे थे, इसलिए उपरोक्त वस्तुओं पर 10 प्रतिशत की दर से उत्पाद शुल्क लगाया जाएगा।

10. तब जूट आयुक्त द्वारा आयुक्त (केंद्रीय उत्पाद शुल्क) को एक पत्र 18.3.2011

दिनांकित लिखा गया था, जिसमें यह कहा गया था:

"2. इस संबंध में यह उल्लेख किया जाना समीचीन होगा कि जूट मिलें खरीदारों की आवश्यकताओं और जूट आयुक्त के निर्देशों के अनुसार जूट की थैलियों पर कुछ वस्तुओं को छापती हैं। जूट के थैलों पर छपी वस्तुएँ और इस तरह की छपाई के कारण नीचे बताए गए हैं:

| क्रम | मुद्रित वस्तुएँ | टिप्पणी |
|------|-------------------------------------|--|
| 1. | मिल का नाम | अधिसूचना सं. एस.ओ.698 (ई) दिनांकित 04.07.2002 के अनुसार |
| 2. | “भारत में निर्मित” | -“- |
| 3. | खरीदार का नाम | खरीदार की आवश्यकता के अनुसार |
| 4. | लोगो | “-“ |
| 5. | उत्पादन का वर्ष | “-“ |
| 6. | बी. आई. एस.लाइसेंस संख्या के साथ | बी. आई. एस. नियम के अनुसार |

3. जूट मिलों को खरीदारों की आवश्यकताओं और जूट आयुक्त द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 698 (ई) दिनांक 04.07.2002 के अनुसार थैलों पर वस्तुओं को छापना होता है।

4. थैले छापने के कारण नीचे दिए गए हैं:

मद सं. 1 और 2 - जूट आयुक्त द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 698 (ई) दिनांक 04.07.2002 (प्रति संलग्न) भारतीय जूट उत्पादों और आयातित जूट उत्पादों के बीच अंतर करने और जे. पी. एम. अधिनियम, 1987 के तहत जारी आदेश की शर्तों का अनुपालन सुरक्षित करने के लिए है। इन आदेशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह निर्धारित किया गया है कि "कुछ वस्तुओं या वर्ग या वस्तुओं के कुल उत्पादन का प्रतिशत भारत में उत्पादित कच्चे जूट से भारत में निर्मित जूट पैकेजिंग सामग्री में पैक किया जाना चाहिए"। नवीनतम आदेश दिनांक 27.08.2010 और जे. पी. एम. अधिनियम, 1987 की एक-एक प्रतियां संलग्न हैं।

वस्तु संख्या 3 से 6 तक को थैलों पर मुद्रित किया जाता है ताकि खरीदार अपने उत्पादों और उस वर्ष की पहचान कर सकें जब खाद्यान्न या अन्य सामग्री पैक की जाती है। यदि कोई खरीदार बी. आई. एस. मानक के अनुसार जूट उत्पादों को पसंद करता है, तो जूट मिल को बी. आई. एस. मानक के अनुरूप थैलों का निर्माण करना पड़ता है और यह बी. आई. एस. मानक तभी साबित होता है जब इसे लाइसेंस संख्या के साथ बी. आई. एस. चिह्नित किया जाता है।

5. इस प्रकार जूट मिलों द्वारा उपरोक्त वस्तुओं के साथ मुद्रित जूट के थैले विनिर्देशों का हिस्सा हैं और इसलिए जहां मिल कंपनी का कोई ब्रांड नाम है, उन्हें सेवाओं के शुल्क के इस संदर्भ में ब्रांडेड थैले के रूप में नहीं माना जा सकता है। थैलों पर वस्तुओं को छापने से जूट मिलों को अपने उत्पादों को बढ़ावा देने में किसी भी तरह का अतिरिक्त लाभ नहीं मिल रहा है।

6. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह अनुरोध किया जाता है कि विभिन्न जूट मिलों को कोलकाता-IV डिवीजन के अंतर्गत केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षकों के कार्यालय द्वारा प्रेषित 10 प्रतिशत अग्रिम शुल्क का भुगतान का नोटिस दिनांकित 08.03.2011 कृपया वापस लिया जाये।"

11. इसके बाद वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक परिपत्र जारी किया गया जिसमें कहा गया था:

"विषय: ब्रांडेड रेडीमेड कपड़ों और कपड़ों की बनी वस्तुओं पर उत्पाद सेवा शुल्क से संबंधित मुद्दों पर स्पष्टीकरण- संबंधित।

बोर्ड को तैयार कपड़ों/बने कपड़ों, जो या तो एक ब्रांड नाम के तहत बेचे जाते हैं या बेचे जाते हैं, पर उत्पाद शुल्क लगाने से संबंधित कुछ मुद्दों पर स्पष्टीकरण मांगने के लिये व्यापार और उद्योग से अनुरोध प्राप्त हुए हैं। ये मुद्दे हैं:

(i) निजी सुरक्षा गार्डों, कंपनियों, होटलों के लिए वर्दी, स्कूल की वर्दी, और एयरलाइंस आदि और कपड़े, तौलिए आदि जैसे निर्मित सामान जो किसी होटल, रेस्तरां या एयरलाइन आदि का नाम या लोगो बाना कर रखते है, पर अनिवार्य उत्पाद शुल्क लगाने की अनिवार्यता, और

(ii) निर्माता के नाम वाले और रक्षा मंत्रालय और इसके संगठनों को आपूर्ति किए गए कंबल जैसे निर्मित सामानों पर उत्पाद शुल्क अनिवार्य रूप से लगाने की अनिवार्यता।

2. इस मामले की जांच की गई है। स्कूल, सुरक्षा एजेंसी, कंपनी, होटल या एयरलाइन आदि के नाम या लोगो वाली वर्दी या रजाई, कंबल, तौलिया, लिनन आदि जैसी बनी वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क की प्रयोज्यता के मुद्दे पर, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस प्रकार के उत्पाद केवल स्कूल, संस्थान या कंपनी या उनके नाम के कारण "ब्रांडेड" उत्पादों के रूप में व्यवहार के योग्य नहीं होंगे कि उन पर स्कूल, संस्थान या कंपनी या दूसरा लोगो या तो मुद्रित किया जाता है, कढ़ाई की जाती है या उन पर नक्काशी की जाती है। यह समान रूप से होटल, रेस्तरां या एयरलाइन के नाम वाले तौलिए, लिनन आदि सामान के बारे में भी सच है। इन सभी मामलों में, इसकी बिक्री का समय इस तरह के नाम या लोगो और उत्पाद के बीच कोई संबंध नहीं है जो "ब्रांड नाम" शब्द की परिभाषा में आवश्यक घटक है। जब तक इस तरह के कपड़ों पर स्कूल, सुरक्षा एजेंसी, होटल, एयरलाइंस और कंपनी के नाम या लोगो के अलावा कोई ब्रांड नाम नहीं होगा, तब तक इस तरह के सामान पर उत्पाद शुल्क नहीं लगेगा। यह भी पता चलता है कि कुछ मामलों में, ऐसे संगठनों के नाम या लोगो के

अलावा, दर्जी या निर्माता का नाम ऐसे कपड़ों पर चिपकाया जाता है। हालांकि, केवल दर्जी या निर्माता के नाम का चिपकाया जाना ब्रांड नाम का गठन नहीं करेगा। एक अन्य संबंधित मुद्दा निविदाओं के एवज में रक्षा को प्रतिष्ठान, सशस्त्र बल, पुलिस बल आदि आपूर्ति किए जाने वाले कंबल पर अनिवार्य उत्पाद शुल्क का लागू होना है जो यह निर्धारित करते हैं कि निर्माता का नाम उत्पाद पर स्पष्ट रूप से इंगित या चिह्नित किया जाना चाहिए जैसा कि ऊपर बताया गया है, ऐसी वस्तुओं पर निर्माता का नाम चिपकाने से, अपने आप में, उन्हें ब्रांडेड वस्तुओं के दायरे में नहीं लाया जायेगा।"

12. उपरोक्त पत्र और परिपत्र को पढ़ने से पता चलता है कि केवल इसलिए कि किसी संस्थान का नाम उस पर छपा या है कढ़ाई की गई है इसका यह तात्पर्य नहीं होगा कि वह ब्रांडेड उत्पाद बन जायेंगे। उत्पाद शुल्क आकर्षित करने के लिए नाम या लोगो के अलावा ब्रांड का नाम भी देना होगा। इसके अलावा, केवल एक निर्माता का नाम चिपकाना एक ब्रांड नाम नहीं होगा। उपरोक्त दो दस्तावेजों को देखते हुए, अधीक्षक (केंद्रीय उत्पाद शुल्क) ने 7.3.2011 दिनांकित नोटिस जारी नहीं किया।

13. खरीदार द्वारा देय उत्पाद शुल्क आकर्षित करने के लिये अपीलार्थियों द्वारा निर्मित पटसन के थैलों पर खरीदार के लिए प्रतीक छापने के लिए आपूर्ति और निपटान निदेशालय द्वारा जारी एक विशिष्ट मांग आदेश की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, उपरोक्त मांग आदेश द्वारा निम्नलिखित की आवश्यकता थी:

"ब्रांडिंग: प्रत्येक थैले को खंड 8 के अनुसार निम्नलिखित प्रतीकों के साथ गहरे गहरे नीले रंग (सबसे संभव गहरे) में मुद्रित किया जाएगा:

क) खरीद एजेंसी की पहचान (जिसमें खरीद एजेंसी की सलाह के अनुसार प्रतीक चिन्ह और नाम या संक्षिप्त नाम या दोनों शामिल हैं)।

ख) रबी 2013-14

ग) राजधानियों में मिल का संक्षिप्त नाम और सीएम/एल नं.

घ) "मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया"

पटसन आयुक्त द्वारा दिया गया एक विशिष्ट आपूर्ति आदेश भी कानून के रूप में, कि खरीदार का नाम निर्माता की मिल के नाम के साथ-साथ बी. आई. एस. प्रमाणन को पीडीएस में उपयोग किए जाने वाले जूट के थैलों की पहचान के लिए एक साथ रखा जाए।"

14. 1.3.2013 की छूट अधिसूचना के लंबे समय बाद, जिसके द्वारा टी बैग को छूट दी गई थी, चाहे वह ब्रांडेड हो या नहीं, 1.3.2011 से 31.7.2013 तक की अवधि के लिए 17.12.2013 पर एक कारण बताएँ नोटिस जारी किया गया। उत्पाद शुल्क के माध्यम से Rs.30,49,72,784/- की राशि देना।

15. विद्वान आयुक्त ने, अपने दिनांक 7.3.2014 के आदेश द्वारा, 1.3.2013 से आगे की अवधि के लिए भी, कारण बताएँ नोटिस को पुष्ट कर दिया जो इस प्रकार है-

"4.7 उक्त निर्धारिती द्वारा दिए गए ऐसे तर्कों पर ध्यान देने पर, मैं पाता हूँ कि उक्त निर्धारिती ने अध्याय 63 के अध्याय नोट 5 के तहत "ब्रांड नाम" की परिभाषा के पहलू पर मौलिक रूप से गलती की है। जब माल खरीदा और बेचा जाता है तो यह एक बाजार का गठन करता है। तत्काल मामले में, उक्त निर्धारिती ने अपने ग्राहकों को जूट के थैले बेचे, और ऐसे सामान, कथित रूप से ब्रांडेड होने के कारण, यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि उक्त ब्रांडेड सामान बाजार में नहीं बेचे गए थे। इसके अलावा, अध्याय 63 के अध्याय नोट 5 के तहत "ब्रांड नाम" की परिभाषा के अनुसार, "ब्रांड नाम" अनिवार्य रूप से एक नाम नहीं हो सकता है, जैसा कि उनके द्वारा गलत तरीके से तर्क दिया गया है, लेकिन कोई भी लेखन, चिह्न, आविष्कार किए गए शब्द उक्त परिभाषा के तहत "ब्रांड नाम" का गठन कर सकते हैं। यहाँ, जूट के थैलों पर मुद्रण/लेखन अध्याय 63 के अध्याय नोट 5 के तहत "ब्रांड नाम" की परिभाषा को पूरा करते हैं, जैसा कि विवादित कारण दिखाएँ नोटिस में सही आरोप लगाया गया है।

जूट आयुक्त की राय के अनुसार, उक्त कपड़ा मंत्रालय की अधिसूचना की आवश्यकता और ऐसी वस्तुओं को ब्रांडेड वस्तुओं के रूप में नहीं माना जा सकता है जैसा कि उन्होंने देखा है। इस संदर्भ में,

मैं पाता हूँ कि इस मामले में जूट आयुक्त के विचारों के प्रेरक मूल्य को एक बार में खारिज या दरकिनार नहीं किया जा सकता है, लेकिन एक अर्ध-न्यायिक राजस्व प्राधिकरण के रूप में, मुझे कानून के तय किए गए सिद्धांतों के अनुसार चलना है कि वैधानिक प्रावधानों के शब्दों में कुछ भी निहित नहीं किया जा सकता है, और उस मामले के लिए, अध्याय टिप्पणियों को इसके सख्त शब्दों में पढ़ने की आवश्यकता है। चूंकि "ब्रांड [2018] 1 एस. सी. आर". की परिभाषा की सामग्री।

4.8 पटसन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या निल दिनांकित 04.0702 और उपरोक्त प्राधिकरण द्वारा अपने पत्र दिनांकित 18.03.11 के अध्ययन के पश्चात, मैं यह पाता हूँ कि पटसन थैलियों के ऊपर कुछ मुद्रण/लिखावट उक्त कपडा मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार और जैसा कि पटसन आयोग ने राय रखी है, और इस प्रकार की वस्तुयें ब्रांडेड वस्तुयें नहीं मानी जा सकती हैं जैसा कि उसके द्वारा देखा गया है। इस संदर्भ में, मैं पाता हूँ कि मामले में पटसन आयोग का मत एक झटके में नकारा या एक तरफ नहीं किया जा सकता है, अपितु, एक अर्ध-न्यायिक राजस्व प्राधिकरण के तौर पर, मुझे न्याय के प्रतिपादित सिद्धांतों के चलना है कि विधिक प्रावधानों की शब्दावली में कुछ भी आयात नहीं किया जा सकता है,

और उस मामले के लिये, अध्याय नोटों को उनके कठोर संदर्भ में पढा जाना चाहिये। चूंकि विवादित जूट के थैलों में "ब्रांड नाम" की परिभाषा के तत्व मौजूद होते हैं, मैं यह मानने के लिए इच्छुक हूं कि ऐसे सामान ब्राण्ड नाम धारण करते हैं ताकि उन्हें शेष अवधि अर्थात् मार्च, 2011 से फरवरी, 2013 के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगाने के उद्देश्य से शेष अवधि अर्थात् मार्च, 2011 से फरवरी, 2013 के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगाने के उद्देश्य से ब्राण्डेड सामान कहा जा सके।"

16. सी. ई. एस. टी. ए. टी. ने विवादित आदेश द्वारा लगाए गए जुर्माने को दरकिनार कर दिया और कहा कि इन मामलों के तथ्यों में सीमा की लंबी अवधि लाभ नहीं उठाया जाएगा। हालांकि, दृढ़ता से भरोसा कोहिनूर इलास्टिक्स (उपरोक्त) में इस न्यायालय के फैसले पर करते हुए, यह निष्कर्ष निकला कि चूंकि जूट के थैलों का एक ब्रांड नाम था, इसलिए 1.3.2011 की संशोधित अधिसूचना में निहित छूट अपीलार्थियों पर लागू नहीं होगी। वित्त मंत्रालय के दिनांक 21.6.2011 के परिपत्र पर चर्चा करते हुए, सी. ई. एस. टी. ए. टी. ने इसे दरकिनार करते हुए कहा:

“आगे, हम पाते हैं कि कपड़ों पर उत्पाद शुल्क के संदर्भ में अपीलार्थी द्वारा संदर्भित परिपत्र क्रम संख्या 947/8/2011-सी एक्स दिनांकित 21.06.2011, और यह अदालतों द्वारा की गई व्याख्याओं पर बाध्यकारी भी नहीं है जैसा कि सी. सी. ई., बोलपुर बनाम रतन

मेल्लिंग एंड वायर इंडस्ट्रीज, 2008 (238) ई. एल. टी. 22 (एस. सी.)
के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया
गया है।“

17. "ब्रांड नाम" की मूल परिभाषा, जिसे यहाँ ऊपर संदर्भित किया गया है, इस
न्यायालय के कई निर्णयों में विचार के लिए सामने आई है। सी. सी. ई. बनाम. स्टैंजेन
इम्यूनो डायग्नोस्टिक्स, (2015) 11 763 पर एस. सी. सी. 761, इस न्यायालय ने
पैराग्राफ 3 में ब्रांड नाम की परिभाषा निर्धारित की, जो वर्तमान मामले में परिभाषा के
समान है। इस न्यायालय ने तब फैसला सुनाया कि:

"12. उपरोक्त परिभाषा में निहित केंद्रीय विचार यह है कि चिह्न का
उपयोग किसी ऐसे व्यक्ति के साथ उक्त माल का संबंध दिखाने के
उद्देश्य से किया जाता है जो नाम या चिह्न का उपयोग कर रहा है।
इसलिए, "ब्रांड नाम" या "व्यापार नाम" के रूप में अर्हता प्राप्त करने
के लिए यह स्थापित करना होगा कि इस तरह के चिह्न, प्रतीक,
डिजाइन या नाम, आदि ने प्रकृति की प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है जिसे
कोई भी निर्माता के साथ उक्त चिह्न आदि से संबद्ध करने में सक्षम
है। तराई फूड लिमिटेड बनाम सी. सी. ई. [तराई फूड लिमिटेड
बनाम। सी. सी. ई. (2007) 12 एस. सी. सी. 721] में इस न्यायालय
के निर्णयों की श्रृंखला द्वारा हम इस दृष्टिकोण का समर्थन प्राप्त करते

हैं। अभिव्यक्ति "ब्रांड नाम" को निम्नलिखित शब्दों में समझाया गया था: (एस. सी. सी पी. 723, पैरा 7 और 9)

"7. ब्रांड नाम शब्द, जब किसी विशेष उत्पाद पर उपयोग किए जाने से उत्पाद और निर्माता के बीच संबंध स्थापित होगा, ऐसे चिह्न, प्रतीक, डिजाइन या नाम को संदर्भित करता है जो विशेष निर्माण के लिए अद्वितीय है।

XXX XXX XXX

9. और आगे "ब्रांड नाम" शब्द की परिभाषा यह दर्शाती है कि यह एक नाम अथवा एक चिह्न अथवा एक नाम-चिह्न इत्यादि होना चाहिये जि कि एक विशेष उत्पाद के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है और एक उत्पाद तथा एक व्यक्ति के मध्य सम्बंध स्थापित करता है। इस प्रकार, यह नाम और चिह्न इत्यादि खुद किसी व्यक्ति की पहचान नहीं हो सकता है। यह अन्य कुछ और होना चाहिये जो कि उत्पाद पर दिया गया है और जिसने कड़ी स्थापित की थी।

XXX XXX XXX

16. हम सी. सी. ई. वनाम भल्ला एंटरप्राइजेज [सी. सी. ई. वनाम. भल्ला एंटरप्राइजेज (2005) 8 एस. सी. सी. 308]: (एस. सी. सी पी. 311, पैरा 6) से निम्नलिखित अवलोकन को भी पुनः प्रस्तुत करना चाहेंगे:

6. करदाता की यह आशंका कि उन्हें जूट से केवल इसलिये वंचित लिया जा सकता है क्योंकि देश के दूर-दराज के इलाके में भी कुछ अन्य व्यापारियों ने पहले व्यापार चिन्ह का उपयोग किया था, निराधार है। अधिसूचना स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि करदाता को केवल तभी छूट दी जायेगी जब वह जिन वस्तुओं के सम्बंध में छूट मांगी गई है, न वस्तुओं पर समान/समान ब्रांड नाम का उपयोग करदाता के सामान और ऐसे अन्य व्यक्ति के साथ सम्बंध दर्शाने के इरादे से किया जाता है या नाम का उपयोग इस तरहसे किया जाता है कि यह ऐसे सम्बंध का संकेत दे। इसलिये यदि निर्धारित मूल्यांकन प्राधिकारियों को संतुष्ट करने में सक्षम है कि ऐसा कोई इरादा नहीं था या कि ब्रांड नाम का उपयोगकर्ता पूरी तरह से आकस्मिक था और अंकों के उचित मूल्यांकन पर ऐसे किसी भी सम्बंध का संकेत नहीं दे सकता था, वह छूट के लाभ का हकदार होगा। एक निर्धारित भी छूट के लाभ का हकदार होगा यदि ब्रांड नाम स्वयं निर्धारित का है, हालांकि कोई और भी इस तरह के नाम का हकदार समान रूप से हो सकता है।

17. ये अवलोकन दो महत्वपूर्ण पहलुओं को सामने लाते हैं, अर्थात्:

(1) अधिसूचना के अनुसार, निर्धारित को केवल तभी प्रतिबंधित किया जाएगा जब वह उस माल पर उपयोग करता है जिसके सम्बंध में

छूट मांगी गई है, उसी/समान ब्रांड नाम का उपयोग करने के इरादे से निर्धारिती के माल और ऐसे अन्य व्यक्ति के साथ संबंध या नाम का उपयोग इस तरह से किया जाता है कि यह इस तरह के जुड़ाव को इंगित करेगा। यदि ऐसा कोई इरादा नहीं है या कि ब्रांड नाम का उपयोगकर्ता पूरी तरह से आकस्मिक था और चिह्नों के उचित मूल्यांकन पर ऐसे किसी भी संबंध को इंगित नहीं कर सका, वह छूट के लाभ का हकदार होगा।

(2) निर्धारिती भी छूट के लाभ का हकदार होगा यदि ब्रांड नाम स्वयं निर्धारिती का है, हालांकि कोई और ऐसे नाम का समान रूप से हकदार हो सकता है। (पृष्ठ 766, 767-768 पर)

इसी तरह का प्रभाव सी. सी. ई. बनाम संघी थ्रेड्स, (2015) 14 एस. सी. सी. 702 पर 701 में इस न्यायालय का निर्णय है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि:

3. CESTAT के आदेश को चुनौती देते हुए, वर्तमान अपील दायर की जा रही है। उपरोक्त तथ्यों के वर्णन से हम पाते हैं कि अभिनिर्धारित किया जाता है कि प्रत्यर्थी द्वारा उपयोग किया गया मोनोग्राम कुछ भी नहीं है बल्कि इसका अपना घर का निशान है और इसका उपयोग समूह की पहचान के लिए किया जाता है और न कि उत्पाद की पहचान के लिए एक ब्रांड नाम। जिस बात पर जोर दिया

जाता है वह यह है कि मोनोग्राम किसी तीसरी पार्टी से संबंधित नहीं है बल्कि वह संघी समूह से संबंधित है और इसलिए, इन-हाउस मोनोग्राम है। इन तथ्यों पर, हमारी राय है कि मामला पूरी तरह से सी. सी. ई. बनाम स्टैंजेन इम्यूनो डायग्नोस्टिक्स [(2015) 11 एससीसी 761: (2015) 318 ई. एल. टी. 585] जिसमें दिनांक 19-3-2015 को निर्णय किया गया था, में इस न्यायालय के फैसले द्वारा कवर किया गया है।"

18. यह स्पष्ट है कि, इन मामलों के तथ्यों पर, वास्तव में पटसन के थैलों पर जो चिपकाया जाता है वह खरीदार एजेंसी का नाम चिपकाया जाता है जैसे कि एफ. सी. आई., पंजाब राज्य सरकार और इसी तरह, फसल वर्ष, संबंधित पटसन मिल का नाम, इसकी बी. आई. एस. प्रमाणन संख्या और यह विवरण कि खाद्यान्न भारत में निर्मित होते हैं। यह स्पष्ट है कि जूट नियंत्रण आदेश और उसके तहत किए गए माँग आदेशों को देखते हुए, उपरोक्त सभी निशान, जुर्मनि के दर्द पर, जूट के थैलों के निर्माताओं द्वारा किए जाने हैं। जाहिर है, इस तरह के चिह्न कानून की मजबूरी से बनाए जाते हैं, जो पीडीएस में शामिल सरकारी एजेंसियों द्वारा पहचान, निगरानी और नियंत्रण के लिए होते हैं। न ही इस तरह के निशान जूट की थैलियों के मूल्य को बढ़ाते हैं और न ही अपीलार्थियों का इरादा जूट के थैलों के मूल्य को बढ़ाने का है, जो कि उत्पाद शुल्क लगाने के लिए आवश्यक है। यह इस अभिव्यक्ति से प्रवाहित होता है, "...संकेत देने के उद्देश्य से, या संकेत देने के लिये, उत्पाद और ऐसे नाम या चिन्ह का उपयोग करने वाले

किसी व्यक्ति के बीच व्यापार के दौरान एक सम्बंध ...।" वर्तमान मामले में, पटसन के थैले पर निशान पटसन के थैले और ऐसे नाम का उपयोग करने वाले किसी व्यक्ति के बीच व्यापार के दौरान संबंध का संकेत देने के उद्देश्य से नहीं होते हैं। चिह्न केवल कानून की मजबूरी से होते हैं ताकि पीडीएस में शामिल सरकारी अधिकारी उपरोक्त जूट के थैले की पहचान कर सकें और उन्हें अलग कर सकें। यह मामला होने के कारण, यह स्पष्ट है कि वर्तमान मामलों के तथ्यों में कोई "ब्रांड नाम" शामिल नहीं है।

19. समान रूप से, इस न्यायालय द्वारा इस तरह के परिपत्रों के विपरीत कानून निर्धारित करने वाला कोई निर्णय न होने की स्थिति में यह स्पष्ट है कि वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए परिपत्र केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के लिए बाध्यकारी है। यह एक सुव्यवस्थित प्रस्ताव है जैसा कि सी. आई. टी. बनाम ट्रांस एशियन शिपिंग सर्विसेज (पी) लिमिटेड, (2016) 8 एस. सी. सी. 621 पर 604 के पैराग्राफ 30 में निर्धारित किया गया है।

20. हालाँकि, चूंकि सी. ई. एस. टी. ए. टी. द्वारा कोहिनूर इलास्टिक्स (ऊपर) में इस न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय पर भारी निर्भरता रखी गई थी, हमारे लिए उपरोक्त निर्णय से निपटना आवश्यक हो गया है। छूट अधिसूचना, जो उस मामले के तथ्यों पर शामिल थी, दिनांकित 28.2.1993 एक अधिसूचना थी। अधिसूचना का प्रासंगिक भाग, जिसके साथ न्यायालय का संबंध था, पैराग्राफ 4 में निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:

"इस अधिसूचना में निहित छूट किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा धारित ब्रांड नाम या व्यापार नाम (पंजीकृत हो अथवा नहीं) में निर्धारित वस्तुओं पर लागू नहीं होगी: बशर्ते कि उन निर्दिष्ट वस्तुओं के लिए इस अनुच्छेद में निहित कुछ भी लागू नहीं होगा जो एक हैं मशीनरी या उपकरण या उपकरण के घटक भाग हैं और एक कारक से साफ किया गया उक्त मशीनरी या उपकरण या उपकरण के निर्माण में मूल उपकरण के रूप में उपयोग के लिए कारखाने द्वारा स्वीकृत किये जाते हैं और उक्त नियमों के अध्याय X निर्धारित प्रक्रिया इस प्रकार है:

स्पष्टीकरण IX- ब्रांड नाम या व्यापार नाम का अर्थ एक ब्रांड नाम या व्यापार नाम होगा, चाहे पंजीकृत हो या नहीं, अर्थात् एक नाम या एक निशान [कोड संख्या, डिजाइन संख्या, ड्राइंग संख्या, प्रतीक, मोनोग्राम, लेबल], हस्ताक्षर या आविष्कार किये गये शब्द या लेखन जिसका उपयोग ऐसी निर्दिष्ट वस्तुओं के संबंध में संकेत देने के उद्देश्य से किया जाता है, या ऐसी निर्दिष्ट वस्तुओं और ऐसे नाम या चिन्ह का उपयोग करने वाले किसी व्यक्ति के बीच उस व्यक्ति की पहचान का किसी संकेत के साथ या बिना किसी संकेत के व्यापार के दौरान सम्बंध को इंगित किया जा सके। (पृष्ठ 530 पर)"

21. इस न्यायालय के फैसले ने इस तथ्य को बदल दिया कि छूट अधिसूचना में निहित उन विशिष्ट वस्तुओं पर लागू नहीं होगी जिन पर किसी अन्य व्यक्ति का ब्रांड

नाम है। सबसे पहले यह देखा जा सकता है कि इस बात का कोई तर्क नहीं था कि संबंधित विशेष ब्रांड नाम को, उस मामले के तथ्यों पर, एक "ब्रांड नाम" नहीं कहा जा सकता था, जो कि हमारे सामने तर्क दिया गया है। इसके अलावा, उस मामले के तथ्यों पर यह अभिनिर्धारित किया गया था कि:

"यह एक स्वीकृत स्थिति है कि अपीलकर्ता इलास्टिक पर अपने ग्राहकों के ब्रांड/ व्यापार नाम को चिपका रहे हैं। वह इसलिये चिपकाये जा रहे हैं क्योंकि अपीलार्थी और/या ग्राहक यह इंगित करना चाहते हैं कि "माल (लोचदार)" का उस ग्राहक से संबंध है। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि जिस लोचदार पर 'ए' का ब्रांड/व्यापार नाम चिपकाया गया है उस ब्रांड/व्यापार नाम का उपयोग करने वाले व्यक्ति के अलावा और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है और न किया जायेगा। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि निर्माता के व्यापार के दौरान एक बार ब्रांड/व्यापार नाम का उपयोग करने के बाद, जो उसके द्वारा निर्मित सामान और जो व्यक्ति ब्रांड/व्यापार नाम का प्रयोग कर रहा है, के मध्य एक संबंध का संकेत दे रहा है तब छूट खो जाती है। किसी भी मामले में ऐसा नहीं हो सकता है कि यह भूल जाएँ कि ग्राहक अपने ब्रांड/व्यापार नाम को उत्पाद पर अपनी जानकारी या रुचि के लिए नहीं चिपकाना चाहता है अपीलार्थियों द्वारा लोचदार आपूर्ति किया जाना अंडरगारमेंट का

अभिन्न अंग बन रहा है। ग्राहक ब्रांड/व्यापार नाम चिपकवा रहा है क्योंकि वह चाहता है कि अंतिम ग्राहक को पता चले कि उत्पाद और उसके बीच एक संबंध है। (पृष्ठ 532-533 पर)"

22. इन मामलों के तथ्य कोहिनूर इलास्टिक्स (ऊपर) के तथ्यों से बहुत दूर हैं। कोहिनूर इलास्टिक्स (ऊपर) में, यह पाया गया कि, वास्तव में, ग्राहक उत्पाद पर ब्रांड नाम चिपकाना चाहता था क्योंकि वह चाहता था कि उपभोक्ता को पता चले कि उत्पाद और उसके बीच एक संबंध है। वर्तमान मामले में यह तथ्यों से बहुत दूर है, उस मामले में, जैसा कि हम ऊपर मान चुके हैं, यह स्पष्ट है कि जूट की थैलियों पर आवश्यक चिह्न अनिवार्य हैं, जो जूट आयुक्त द्वारा आवश्यक हैं, और उपरोक्त उत्पादों और उन उत्पादों के निर्माता के बीच व्यापार के दौरान संबंध का संकेत देकर जूट की थैलियों के मूल्य को बढ़ाने के उद्देश्य से नहीं हैं।

23. यह मामला होने के कारण, अपीलों की, इसलिये, अनुमति दी जाती है और सी. ई. एस. टी. ए. टी. का निर्णय रद्द किया जाता है।

देविका गुजराल

अपीलों की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता बृजेश कुमार द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।